राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1640/2024

अमरजीत कौर साहनी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर।
3. निदेशक, विकलांग व्यक्ति, जी 3/1, अम्बेडकर भवन, रेसिडेंसी ऐरिया, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.04.2024
आदेश की दिनांक : 23.04.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री शोवित झांझरिया, अभिभाषक
समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2005 में अध्यापक ग्रेड–3 के पद पर हुई। अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक (लेवल–1) के पद पर राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रेतवाली, कोटा में वर्ष 2018 से कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी 75 प्रतिशत (आंखों के संबंध में अंधापन) विकलांग है एवं अपीलार्थी दिव्यांग होने के साथ विधवा महिला है। अपीलार्थी के पति की मृत्यु दिनांक 18.11.2023 को हो गई। (अपलग्नक–2) अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से आने–जाने में पेरशानी होती है। अपीलार्थी द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करतारपुरा जयपुर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबारामदेव नगर गुर्जर की थड़ी जयपुर एवं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्योति नगर जयपुर में रिक्त पद होने के कारण अपीलार्थी ने दिनांक 10.01.2024, 23.01.2024 एंव दिनांक 09.02.2024 को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य आयुक्त जी आयुक्तालय विरोपयोग्यजन एवं माननीय शिक्षामंत्री जी को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वर्तमान स्थान से उपर्युक्त स्थानों में से किसी एक स्थान पर स्थानान्तरण कराने के संबंध में निवेदन किया (अनुलग्नक–3)। विरोपयोग्यजन के लिए राज्य आयुक्त अदालत के आदेश दिनांक 07.02.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी को कोटा शहर से जयपुर शहर में

स्थानान्तरण करने हेतु उक्त विद्यालय में से किसी एक विद्यालय में से किसी एक विद्यालय में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया। लेकिन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का कोई निस्तारण नहीं किया गया। अपीलार्थी ने राजस्थान राज्य महिला आयोग के उक्त प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को एक पत्र दिनांक 20.03.2024 (अनुलग्नक–5) को लिखा लेकिन जिसका कोई निस्तारण नहीं किया गया। कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर के दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा विधि अधिकारी आयुक्तालय विशेषयोग्यजन को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों को स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों के तहत कार्यवाही किया जाना संभव होगा। जबकि निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा के आदेश दिनांक 01.03.2024 (अनुलग्नक–7) द्वारा श्रीमती किरण कुमारी को कार्यव्यवस्थार्थ इच्छित स्थान पर पदस्थापित किया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 07.02.2024 के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करतारपुरा जयपुर, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबारामदेव नगर गुर्जर की थड़ी जयपुर एवं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्योति नगर जयपुर में से किसी एक स्थान पर किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में

गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य